

**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- 01 / योब0-45 / 2015(खण्ड-2)-678

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी
वन प्रमंडल, हजारीबाग/ चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन
प्रमंडल, चतरा/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/
रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/गिरिडीह पूर्वी वन
प्रमंडल, गिरिडीह/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/ गढ़वा उत्तरी वन
प्रमंडल, गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा/ मेदिनीनगर वन प्रमंडल,
मेदिनीनगर/ देवघर वन प्रमंडल, देवघर/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/ सामाजिक वानिकी
प्रमंडल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी
प्रमंडल, गढ़वा।

दिनांक :- 16 / 05 / 2016

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वनमूमि के
बाहर वृक्षारोपण (पुराना नाम पथरट रोपण—सह—शहरी वानिकी योजना)
(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन
से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए 588.372 लाख (पाँच
करोड़ अठासी लाख सेंतीस हजार दो सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन के
संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-7 / योबजट-19 / 2013-10 / स्वी0 व0प0
दिनांक 22.07.2014 एवं आवंटन आदेश संख्या-07 / योबजट-19 / 2013-13 / आ0
व0प0 दिनांक 22.04.2016।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली अधिसूचित वनमूमि के
बाहर वृक्षारोपण (पुराना नाम पथरट रोपण—सह—शहरी वानिकी योजना) (अनुसूचित जातियों
के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय
वर्ष) के लिए कुल 588.372 लाख (पाँच करोड़ अठासी लाख सेंतीस हजार दो सौ रुपये)
मात्र की ऑन—लाईन उप आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित
किया जाता है :-

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड़	आवंटित राशि
1	2406— वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष—01 वानिकी, लघु शीर्ष— 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष—59—अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना	मजदूरी	19P240601789590103	462.299
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601789590323	126.073
कुल आवंटित राशि				588.372

अर्थात् कुल 588.372 लाख (पाँच करोड़ अठासी लाख सौंतीस हजार दो सौ रुपये) मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन—लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्तमान आवंटित राशि 588.372 लाख (पाँच करोड़ अठासी लाख सौंतीस हजार दो सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण (पुराना नाम पथरट रोपण—सह—शहरी वानिकी योजना)” (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406— वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष—01 वानिकी, लघु शीर्ष— 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष—59—अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

5. न्यूनतम मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाएगा। वन प्रमंडलों द्वारा स्थल विशेष प्राक्कलन श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर एवं विभागीय कार्य दरों पर तैयार किया जाएगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी। किसी भी एक सङ्केत या एक कैम्पस में रोपित होने वाले बॉस गैबियन को एक योजना माना जायेगा तथा पूर्ण योजना चार वर्षीय होगी जिसका सम्पोषण कार्य तृतीय वर्ष अंश होगा।

6. तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त स्थल विशेष योजनाएं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरांत ही आवंटित राशि व्यय की जाएगी तथा तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन की गयी राशि तक व्यय सीमित रखी जायेगी।

7. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

8. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची होंगे, नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

9. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा वन संरक्षक एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निर्देशों के साथ अधीनस्थों तथा नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे। एक प्रति कार्यालय अभिलेख हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को समर्पित करेंगे।

10. स्थल विवरणी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात हीं उप आवंटन राशि का व्यय किया जाएगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी-पत्र- परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

12. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम – 300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार का कार्यालय ज्ञाप संख्या 3037 दिनांक 02. 05.2012 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में बिना पथ निर्माण विभाग की अनुमति के उनके स्वामित्व/नियंत्रणाधीन पथों पर वृक्षारोपण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। योजना कार्यान्वयन के पूर्व संबंधित भू-स्वामित्व/नियंत्रणाधीन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही राशि का व्यय किया जाएगा।

16. शहरों में सड़कों के किनारे एक सड़क पर सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय, बाँस गैबियन पर गैबियन संख्या अंकित की जाएगी, बाँस गैबियन में प्रकाष्ठ प्रजाति, फलदार एवं शोभाकार पौधों का रोपण किया जाएगा, प्रत्येक ग्राम के निकट पथ के दोनों तरफ कम से कम 50 फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा एवं पौधों का क्रय विभागीय पौधशालाओं से करने को प्राथमिकता दी जाय।

17. रोपित पौधों/वृक्षों की गुणवत्ता एवं पौधों के संबंध में third party से concurrent evaluation कराया जाय एवं तदनुसार समय पर वांछित सुधार कर प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची द्वारा संधारित किया जाय।
18. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।
19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षावार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।
21. इस योजना के अन्तर्गत किये गये ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-1 तथा प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक-2 एवं कार्यदर अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :- यथोक्त /

₹0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01 / यो0ब0-45 / 2015(खण्ड-2)-678 राँची, दिनांक :- 14.05.2016

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

₹0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01 / यो0ब0-45 / 2015(खण्ड-2)-678 राँची, दिनांक :- 14.05.2016

प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/कोषागार पदाधिकारी, चतरा/कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा/कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/कोषागार पदाधिकारी, रामगढ़/कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर, पलामू/कोषागार पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Anudan
145/146
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

17. रोपित पौधों/वृक्षों की गुणवता एवं पौधों के संबंध में third party से concurrent evaluation कराया जाय एवं तदनुसार समय पर वांछित सुधार कर प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची द्वारा संधारित किया जाय।
18. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।
19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षावार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।
21. इस योजना के अन्तर्गत किये गये ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-1 तथा प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक-2 एवं कार्यदर अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :- यथोक्त /

₹0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।


ज्ञापांक :-01/यो0ब0-45/2015(खण्ड-2)-678 राँची, दिनांक :- 14.05.2016

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

*Chandan
10/5/2016*
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

17. रोपित पौधों/वृक्षों की गुणवत्ता एवं पौधों के संबंध में third party से concurrent evaluation कराया जाय एवं तदनुसार समय पर वांछित सुधार कर प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची द्वारा संधारित किया जाय।
18. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।
19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षावार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।
21. इस योजना के अन्तर्गत किये गये ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-1 तथा प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक-2 एवं कार्यदर अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।


अनुलग्नक :— यथोक्त /

विश्वनाथभाजन,

16/12/2010
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण एवं
मू-संरक्षण (पुराना नाम पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना) (अनुसूचित जाति के लिए विशेष^{घटक} योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार
स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (गैबियन की सं0)	भौतिक लक्ष्य (200 गै0 प्रति किमी)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			254.85	69.50	324.35
i	ii	iii	vii	viii	ix
1	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	10000	25.485	6.950	32.435
2	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	10000	25.485	6.950	32.435
3	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	10000	25.485	6.950	32.435
4	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	10000	25.485	6.950	32.435
5	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	10000	25.485	6.950	32.435
6	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	9000	22.937	6.255	29.192
7	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	9000	22.937	6.255	29.192
8	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	10299	26.247	7.158	33.405
9	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	13000	33.131	9.035	42.166
10	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	13000	33.131	9.035	42.166
11	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	5500	14.016	3.823	17.839
12	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	9000	22.937	6.255	29.192
13	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	8600	21.917	5.977	27.894
14	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	10000	25.485	6.950	32.435
15	साठवाठ प्रमण्डल, देवघर	11000	28.034	7.645	35.679
16	साठवाठ प्रमण्डल, हजारीबाग	11000	28.034	7.645	35.679
17	साठवाठ प्रमण्डल, कोडरमा	11000	28.034	7.645	35.679
18	साठवाठ प्रमण्डल, गढ़वा	11000	28.034	7.645	35.679
योग :-		181399	462.299	126.073	588.372



अपर प्रधान अधिकारी वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

दर तालिका (प्रति गैबियन)


पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस –गैबियन में वृक्षारोपन

बाँस—गैबियन का आकार : 6'-6"x2'-6"x2'-6"

अनु०-३

मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : 221.61 रुपये

क्र सं०	कार्य की विवरणी	मानव दिवस (प्रति गैबियन)	मजदूरी, (रु० में)	सामग्री प्रति हेठो	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi
(A) संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- ५ग्रा. यूरिया .५ ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: १०ग्रा. यूरिया, ५ग्राम कीटनाशक, तृतीय: ५ग्रा. यूरिया ५ ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	0.15	33.24	4.50	37.74
2	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)	0.50	110.81	5.00	115.81
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	0.50	110.81	60.00	170.81
	योग	1.15	254.85	69.50	324.35


 (परमाणु अरुचलम)
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

दाता: वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएँ गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं।

पत्र संख्या - 01/yb-45/2015-2/678

दिनांक -

16-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस.नं.	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जानियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेनन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	25544	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	2,548,500.00 रुपये पच्चीस लाख अडतालीस हजार पौंच से
2	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जानियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेनन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	25545	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	2,548,500.00 रुपये पच्चीस लाख अडतालीस हजार पौंच से
3	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जानियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेनन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	25546	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	2,548,500.00 रुपये पच्चीस लाख अडतालीस हजार पौंच से

योग:

क्रमिक योग:

रुपये छहत्तर लाख पैतालीस हजार पौंच सौ

7,645,500.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25547	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	2,548,500.00 रुपये पच्चीस लाख अडतालीस हजार पौंच से
5	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25549	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	2,548,500.00 रुपये पच्चीस लाख अडतालीस हजार पौंच से
6	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25550	BKRFOR001 VIJAY KUMAR D F O, BOKARO	2,293,700.00 रुपये बाइस लाख तिरनावे हजार सात से
7	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25552	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	2,293,700.00 रुपये बाइस लाख तिरनावे हजार सात से
योग:				
क्रमिक योग:				
रुपये एक करोड़ तीहत्तर लाख उन्तीस हजार नौ सौ  (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)				
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI				
Run Date: 16/5/2016				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भन्ते 03 - मजदूरी	25553	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,624,700.00 रुपये छहबीस लाख चौहास हजार सात से
9	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भन्ते 03 - मजदूरी	25555	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	3,313,100.00 रुपये तैतीस लाख तेरह हजार एक रु
10	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भन्ते 03 - मजदूरी	25557	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	3,313,100.00 रुपये तैतीस लाख तेरह हजार एक से
11	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भन्ते 03 - मजदूरी	25558	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	1,401,600.00 रुपये चौदह लाख एक हजार छः से

योग:

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड उन्नासी लाख बयासी हजार चार सौ

10,652,500.00

27,982,400.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 16/5/2016

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आर्वटित राशि
12	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25559	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	2,293,700.00
13	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25562	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	2,191,700.00
14	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25563	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	2,548,500.00
15	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25566	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV. DGR	2,803,400.00
<hr/>				
योग:				9,837,300.00
क्रमिक योग:	रुपये तीन करोड़ अठहल्तर लाख उन्नीस हजार सात सौ		 (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IAS)	37,819,700.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आर्वादित राशि
16	P 19 240601789590103	25573	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	2,803,400.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी		रुपये अठाइस लाख तीन हजार चार से	
17	P 19 240601789590103	25577	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	2,803,400.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी		रुपये अठाइस लाख तीन हजार चार से	
18	P 19 240601789590103	25581	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	2,803,400.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेनन एवं भने 03 - मजदूरी		रुपये अठाइस लाख तीन हजार चार से	
19	P 19 240601789590323	25583	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	695,000.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री		रुपये छः लाख पिनचानवे हजार	
				9,105,200.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड उनहत्तर लाख चौहास हजार जौ सौ

46,924,900.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN, IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25584	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	695,000.00 रुपये छ: लाख पिनचानवे हजार
21	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25585	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	695,000.00 रुपये छ: लाख पिनचानवे हजार
22	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25587	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	695,000.00 रुपये छ: लाख पिनचानवे हजार
23	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25588	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	695,000.00 रुपये छ: लाख पिनचानवे हजार
योग:				
क्रमिक योग:				
रुपये चार करोड़ सित्तानवे लाख चार हजार नौ सौ (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS) ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI				
Run Date: 16/5/2016				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25589	BKRFOR001 VIJAY KUMAR D F O, BOKARO	625,500.00 रुपये छ: लाख पच्चीस हजार पाँच से
25	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25590	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	625,500.00 रुपये छ: लाख पच्चीस हजार पाँच से
26	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25591	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	715,800.00 रुपये सात लाख पंद्रह हजार आठ से
27	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25603	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	903,500.00 रुपये नौ लाख तीन हजार चाँच से
योग:				2,870,300.00
क्रमिक योग:	रुपये पाँच करोड़ पच्चीस लाख पचहत्तर हजार दो रुपये		(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFO)	52,575,200.00
		ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND		
Page 7 of 10	RANCHI	Run Date:	16/5/2016	

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25604	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	903,500.00 रुपये तीन लाख तीन हजार पाँच से
29	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25605	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	382,300.00 रुपये तीन लाख बयासी हजार तीन से
30	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25607	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	625.500.00 रुपये छः लाख पच्चीस हजार पाँच से
31	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25609	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	597,700.00 रुपये पाँच लाख सिल्लानवे हजार सात
<hr/>				
योग:				2,509,000.00
क्रमिक योग:	रुपये पाँच करोड़ पचास लाख चौरासी हजार दो सौ			55,084,200.00
		(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)		
		ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND		
Page 8 of 10		RANCHI	Run Date:	16/5/2016

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नंबर	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
32	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25610	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	695,000.00 रुपये छ: लाख पिंचानवे हजार
33	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25615	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	764,500.00 रुपये सात लाख चौसठ हजार पौँच से
34	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25616	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	764,500.00 रुपये सात लाख चौसठ हजार पौँच से
35	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25618	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	764,500.00 रुपये सात लाख चौसठ हजार पौँच से
योग:				2,988,500.00
क्रमिक योग:	रुपये पौँच करोड अस्ती लाख बहतर हजार सात सौ	(Signature) 14/5/2016 (SHRI.Y.K.SINGH (CHAUHAN I.P.S))		58,072,700.00
Page 9 of 10		ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND	RANCHI	Run Date: 16/5/2016

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
36	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिगूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25632	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	764,500.00 रुपये सात लाख चौसठ हजार पैसे



योगः

क्रमिक योगः

रुपये पैसे करोड अठ्यासी लाख सैतीस हजार दो रुपये

764,500.00

58,837,200.00

(SHRI Y.K.SINGH CHAUHAN IPS)

ADDI,PCCF,DEV.JHARKHAND

RANCHI